

समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत

(जिला मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल)

पीठ संख्या 02 स्थान पौड़ी गढ़वाल दिनांक 09.12.2023

आपराधिक वाद संख्या 703 सन् 2023

राज्य बनाम तालिब

अन्तर्गत धारा मोटर वाहन अधिनियम

उपस्थित-1. मौ० याकूब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल
अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ

2. श्री विनोद कुमार अधिवक्ता पौड़ी
सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ

दिनांक 09.12.2023

अधिनिर्णय

उपरोक्त मामला निस्तारण किये जाने हेतु इस राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ के समक्ष
संदर्भित/प्रस्तुत किया गया।

कार्यालय सम्मभागीय परिवहन अधिकारी गढ़वाल सम्भाग पौड़ी के कार्यालय से प्राधिकृत
अधिकार/प्रतिनिधि मोटर वाहन अधिनियम में शमनीय प्रकृति के वादों को निस्तारित करने हेतु राष्ट्रीय
लोक अदालत के समक्ष उपस्थित हुये। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
मामले में परिशमन की धनराशि समक्ष जिसकी रसीद सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत की गई, जो
अभियुक्त की ओर से पत्रावली पर संलग्न है। चूंकि अभियुक्त द्वारा अपना वाद परिशमन कराया जा
चुका है। ऐसे में उक्त वाद उक्त वाद में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गई है, अतः उक्त आपराधिक
वाद की कार्यवाही परिशमन के आधार पर समाप्त की जाती है।

पत्रावली वास्ते अग्रेतर कार्यवाही संबन्धित न्यायालय को वापस प्रेषित की जाये।

श्री विनोद कुमार
अधिवक्ता पौड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच

मौ० याकूब
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वालसदस्य
अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ